<u>प्रेस विज्ञप्ति</u>
<u>18/04/2024</u>

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), मुंबई जोनल कार्यालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत रिपु सूदन कुंद्रा उर्फ राज कुंद्रा से संबंधित 97.79 करोड़ रुपये की अचल और चल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। संलग्न संपत्तियों में जुहू में स्थित आवासीय फ्लैट जो वर्तमान में श्रीमती शिल्पा शेट्टी के नाम पर है, पुणे स्थित आवासीय बंगला और राज कुंद्रा के नाम पर इक्विटी शेयर शामिल हैं।

ईडी ने महाराष्ट्र पुलिस और दिल्ली पुलिस द्वारा मेसर्स वेरिएबल टेक पीटीई लिमिटेड, स्वर्गीय अमित भारद्वाज, अजय भारद्वाज, विवेक भारद्वाज, सिम्पी भारद्वाज, महेंद्र भारद्वाज और कई एमएलएम एजेंटों के खिलाफ दर्ज कई एफआईआर के आधार पर जाँच शुरू की, जिसमें यह आरोप लगाया है कि उन्होंने बिटकॉइन के रूप में प्रति माह 10% रिटर्न के झूठे वादे के साथ भोली-भाली जनता से बिटकॉइन के रूप में भारी मात्रा में धनराशि (2017 में ही 6600 करोड़ रुपये) एकत्र की थी। एकत्रित बिटकॉइन का उपयोग बिटकॉइन माइनिंग के लिए किया जाना था और निवेशकों को क्रिप्टो परिसंपत्तियों में भारी रिटर्न मिलना था। लेकिन प्रमोटरों ने निवेशकों को धोखा दिया और गलत तरीके से प्राप्त बिटकॉइन को अस्पष्ट ऑनलाइन वॉलेट में छुपा लिया है।

ईडी की जाँच में पता चला कि राज कुंद्रा को यूक्रेन में बिटकॉइन माइनिंग फार्म स्थापित करने के लिए गेन बिटकॉइन पोंजी घोटाले के मास्टर माइंड और प्रमोटर अमित भारद्वाज से 285 बिटकॉइन मिले थे। उक्त बिटकॉइन अमित भारद्वाज द्वारा भोले-भाले निवेशकों से एकत्र की गई अपराध की आय से प्राप्त किए गए थे। चूंकि सौदा सफल नहीं हुआ, कुंद्रा के पास अभी भी 285 बिटकॉइन हैं, जिनकी कीमत वर्तमान में 150 करोड़ रुपये से अधिक है।
इससे पहले, इस मामले में कई तलाशी अभियान चलाए गए थे और 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, अर्थात् 17.12.2023 को सिम्पी भारद्वाज, 29.12.2023 को नितिन गौड़ और 16.01.2023 को निखिल महाजन। ये सभी आज की तारीख में न्यायिक हिरासत में हैं।

मुख्य आरोपी अजय भारद्वाज और महेंद्र भारद्वाज अभी भी फरार हैं। इससे पहले ईडी ने 69 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की थी। इसमें अभियोजन शिकायत 11.06.2019 और पूरक अभियोजन शिकायत 14.02.2024 को दायर की गई है। माननीय विशेष पीएमएलए न्यायालय ने इसका संज्ञान लिया है।

आगे की जाँच प्रक्रियाधीन है।